अध्याय - IV
वाहनों पर कर

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों (झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 24 परिवहन जिलों[2] में बाँटा गया है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) से नियंत्रित होते हैं। उनकी सहायता मोटर वाहन निरीक्षकों, प्रवर्तन स्कंध और नौ चेक पोस्ट[3] द्वारा की जाती है।

विभाग की संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :

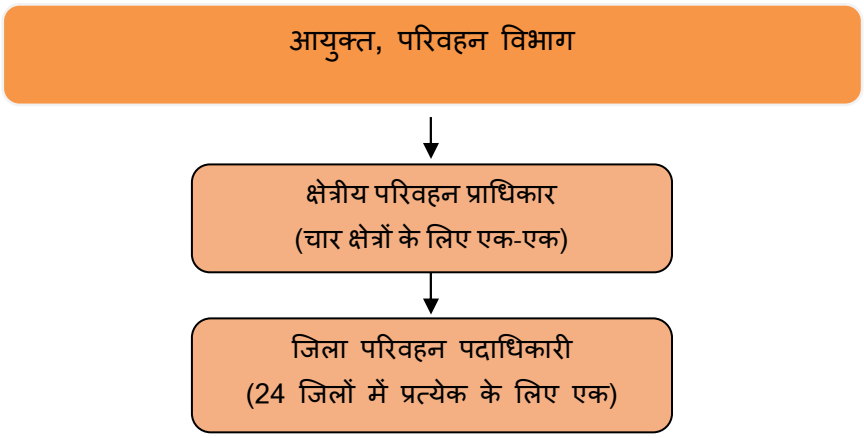

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान परिवहन विभाग के कुल 29 इकाइयों में से 12 वार्षिकी, पाँच द्विवार्षिक तथा दो त्रैवार्षिक इकाइयों के लेखे की नमूना जाँच के लिये

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ एवं सिमडेगा।

3 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

योजना बनाई एवं उपरोक्त सभी नियोजित इकाइयों[4] की नमूना जाँच की, जिनकी 'वाहनों पर करों' से सम्बन्धित कुल राजस्व संग्रहण ₹ 445.09 करोड थी। हमारी लेखापरीक्षा से करों का कम/नहीं आरोपण, बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण, ट्रेलरों से कर का उदग्रहण नहीं होना आदि से सम्बन्धित कुल ₹ 37.50 करोड़ के 34,550 मामले उद्घटित हुए जो **तालिका-4.1** दर्शाया गया है।

तालिका-4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का आरोपण नहीं/कम होना	2,053	12.06
2	ट्रेलरों से कर का उदग्रहण नहीं होना	4,596	4.54
3	बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का उदग्रहण	141	0.32
4	अन्य मामले	27,760	20.58
कुल		**34,550**	**37.50**

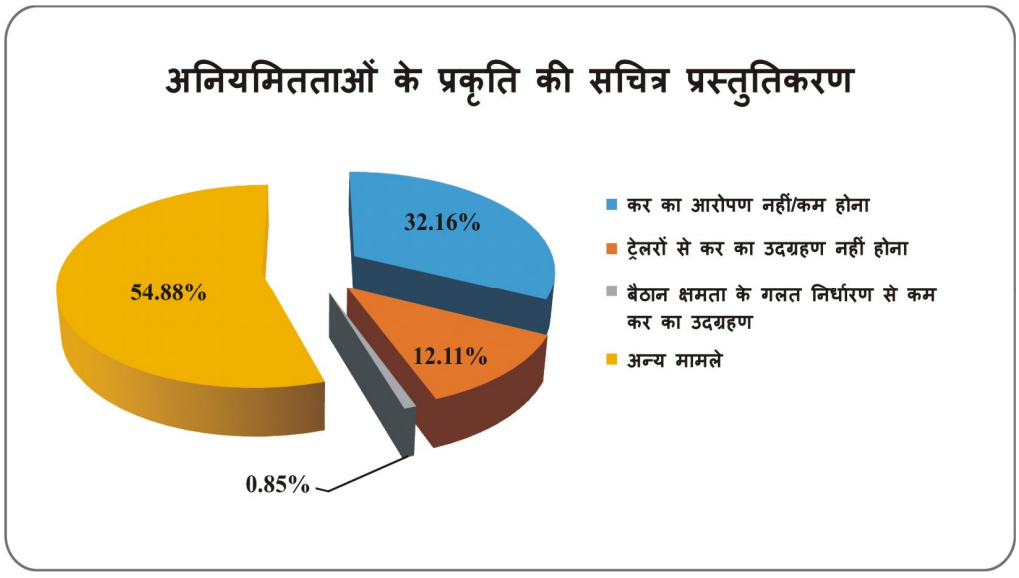

वर्ष के दौरान, विभाग ने मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थ-दण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण में सन्निहित ₹ 37.49 करोड़ के 36,626 मामले जो 2015-16 में लेखापरीक्षा के द्वारा उद्घटित किये गए, को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम दृष्टांतस्वरूप ₹ 20.35 करोड की वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। इनकी चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गयी है।

[4] जि.प.अ. का कार्यालय, बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, पलामू, राँची एवं सिमडेगा, राज्य परिवहन आयुक्त, रांची और क्षे.प.प्रा., दुमका एवं पलामू।

4.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) में प्रावधान है:

(i) वाहन मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर मोटर वाहन कर का भुगतान;

(ii) संगृहीत राजस्व को सरकारी खाते में ससमय जमा करना;

(iii) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन शुल्क का भुगतान;

(iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का निर्गमन एवं नवीनीकरण; और

(v) ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन एवं नवीनीकरण।

परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित मामलों में अधिनियमों/ नियमावलियों, के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

4.4 प्रमादी वाहन मालिकों से करों का संग्रहण नहीं होना

प्रमादी वाहन मालिकों से ₹ 16.23 करोड़ के कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं 9 तथा झा.मो.वा.क. नियमावली 2001 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित वाहन का स्वामी (व्यक्तिगत वाहनों से भिन्न) करारोपण पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है को जिस अवधि के लिये कर का भुगतान किया जा चुका था, उसकी समाप्ति के पश्चात कर भुगतान करने का उत्तरदायी है। निवास/व्यवसाय में परिवर्त्तन के मामलों में पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करने की शर्त पर वाहन स्वामी नये करारोपण प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। निर्धारित अवधि में कर का भुगतान नहीं करने के मामले में करारोपण प्राधिकारी निर्धारित दरों से अर्थदण्ड लगा सकते है। यदि कर के भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो देय करों की राशि का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। तदन्तर, नियम 23 प्रावधान करता है कि प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली और बकाया (माँ.व.ब.) पंजी संधारित करना है जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन करना है। जि.प.प. को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है।

हमने 16 जि.प.प.[5] में करारोपण पंजी, मां.व.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच (अगस्त 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) में पाया कि नमूना जाँच किये गये 18,322 वाहनों में से 5,417 वाहनों के मालिकों ने अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2016 के बीच बकाये कर का भुगतान नहीं किया। तदन्तर, हमने पाया की इन मामलों में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या कर के भुगतान से छूट प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार वे कर एवं अर्थदण्ड भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 में यथा वर्णित प्रावधानों के अनुसार मां.व.ब. पंजी को आवधिक रूप से अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्गृहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जि.प.प. ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध कर एवं अर्थदंड की माँग सृजित नहीं की, जिसके परिणास्वरूप ₹ 10.82 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 16.23 करोड़ कर का संग्रहण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. ने 4,718 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये गये है और 11 जि.प.प.[6] द्वारा 327 मामलों में सन्निहित ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गयी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्ते हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका संख्या 4.5 में इंगित किया गया था। इसके उत्तर में परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेलरों पर 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। हलाँकि, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई (अक्टूबर 2016)।

---

[5] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर,धनबाद, दुमका, गढवा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, पलामू,राँची, और सिमडेगा।

[6] बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, पलामु, राँची और सिमडेगा।

4.5 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

छः से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहनों से उद्ग्रहनीय एकमुश्त कर व अर्थदंड ₹ 1.12 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) के प्रावधानों के अंतर्गत मोटर कार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन जिनकी बैठान क्षमता चालक सहित चार से अधिक किन्तु 10 से अधिक न हो, जो सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वैयक्तिक वाहन की श्रेणी में लाया गया। अधिनियम के स्थानापन्न अनुसूची I भाग (ए) के अनुसार एक मुश्त कर की संशोधित दर वाहन की बैठान क्षमता एवं आयु पर आधारित वाहन के मूल्य पर आरोप्य था। तदंतर, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7(1) में एक मुश्त कर के विलंब से भुगतान करने पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का प्रावधान था। संशोधन के पूर्व (22 मई 2011 तक) धारा 7(3) के अंतर्गत 5 से 10 सीटों के बैठान क्षमता वाले वाहनों पर कर वार्षिक दर से आरोप्य था एवं कर के नहीं/विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था। तदन्तर झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के अनुसार प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँ.व.ब. पंजी का संधारण करना है जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में आवधिक अद्यतन किया जायेगा।

हमने छः जिला परिवहन कार्यालयों[7] में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच किया (नवंबर 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि छः से 10 बैठान क्षमता वाले 1,089 वैयक्तिक वाहनों में से 428 मामले में, जिनकी कर वैधता अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2015 के बीच समाप्त हो गयी थी, के विरुद्ध ₹ 1.12 करोड के कर बकाये थे। चूंकि जि.प.प. ने माँ.व.ब. पंजियों की आवधिक समीक्षा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 45.77 लाख के ब्याज सहित कुल ₹ 88.40 लाख के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, एक मुश्त कर लागू होने के पूर्व ₹ 15.46 लाख के अर्थदंड सहित ₹ 23.19 लाख का कर भी आरोप्य था।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये है और जि.प.प., गिरिडीह द्वारा एक मामले में ₹ 10,400 की वसूली की गयी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका संख्या 4.6 में इंगित किया गया। इसके उत्तर में परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। हलाँकि त्रुटियाँ अभी भी कायम है।

[7] चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर एवं लातेहार।

4.6 वाहनों का स्वामित्व लेने की तिथि से कर आरोपण नहीं होना

वाहनों के स्वामित्व और निबन्धन की तिथि के मध्य की अवधि का कर ₹ 1.09 करोड का आरोपण नहीं हुआ।

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व में कर का कोई भुगतान नहीं किया गया हो, वहाँ वाहन की प्राप्ति की तिथि या विधि द्वारा ऐसा कर आरोपित किये जाने की तिथि, कर भुगतान हेतु देय तिथि होगी। तदंतर के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 42 एवं 47 प्रावधान करता है कि व्यापार प्रमाणपत्र का धारक किसी भी क्रेता को स्थायी या अस्थायी निबंधन के बिना मोटर वाहन की सुपुर्दगी नहीं करेगा एवं वाहन की सुपुर्दगी के सात दिनों के अंदर निबंधन हेतु आवेदन करना है। समय पर करों का भुगतान नहीं किया जाना निर्धारित दरों पर अर्थदंड आकृष्ट करता है जिसकी सीमा विलंब की अवधि के अनुसार देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक है।

हमने सात जिला परिवहन कार्यालयों[8] के करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच किया (नवंबर 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि 2,625 वाहनों में से 576 वाहनों के स्वामियों ने अपने वाहनों को तीन महीने से सात वर्षों के विलंब से अपने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन किया। निबंधन प्राधिकारी ने वाहन के स्वामित्व लेने की तिथि के बजाय निबंधन की तिथि से कर का आरोपण किया। हमने पाया कि लेखापरीक्षा की तिथि तक (नवम्बर 2015 और मार्च 2016 के बीच) वाहनों के स्वामियों ने न तो कर का भुगतान किया और न ही निबंधन प्राधिकारी ने प्रमादी वाहनों पर वाहनों के स्वामित्व की तिथि से निबंधन की तिथि तक के मध्यवर्ती अवधि का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित किया। इस तरह, नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वारूप ₹ 72.56 लाख के अर्थदण्ड सहित कुल ₹ 1.09 करोड की राशि के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 4.11 में इंगित किया गया। विभाग ने तब कहा था कि इस अनियमितता को रोकने के लिये डीलर प्वाइंट निबंधन प्रणाली आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी कायम है (अक्टूबर 2016)।

---

[8] बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, लातेहार एवं सिमडेगा।

4.7 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के वार्षिक प्राधिकार का नवीकरण नहीं होना

परिवहन वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार का नवीकरण नहीं किया गया जिसके फलस्वरुप ₹ 98.35 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई।

मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 81 के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन (कें.मो.वा.) नियमावली 1989 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न एक परमिट पाँच साल की अवधि के लिए निर्गत किया जायगा और एक प्राधिकार की वैधता की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह प्राधिकार एक सतत प्रक्रिया है जब तक कि परमिट कालातीत न हो गया हो या परमिटधारक द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाय। तदन्तर, राष्ट्रीय परमिट स्कीम के तहत परमिट धारकों को निर्धारित वार्षिक शुल्क का अग्रिम भुगतान करना है। भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी राष्ट्रीय परमिट की नई प्रणाली झारखण्ड में सितम्बर 2010 में क्रियान्वित हुई। नई प्रणाली के अंतर्गत समेकित शुल्क ₹ 15,000 प्रतिवर्ष के अतिरिक्त एक हजार रुपये प्राधिकार शुल्क प्रतिवर्ष का आरोपण किया जाएगा। पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2012 से प्रभावी समेकित शुल्क को बढा कर ₹ 16,500 किया गया। नई प्रणाली के अंतर्गत जारी किये गये राष्ट्रीय परमिट भारत के सभी प्रदेशों और संघराज्य क्षेत्रों में मान्य होगी। यदि देय तिथि तक समेकित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित दर से अर्थ दण्ड आरोपित करना हैं।

हमने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, दुमका एवं पलामू के कार्यालयों में 6,013 मामलों की नमूना जाँच किया (फरवरी एवं मार्च 2016) और पाया कि 273 मामले में राष्ट्रीय परमिट प्राधिकार पत्र की वैध्यता दिसम्बर 2011 और मार्च 2015 के बीच समाप्त हो गई थी । इनमे से किसी भी मामले में अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित किए जाने का आवेदन अभिलेखों में उल्लिखित नहीं था। हमने यह भी देखा कि परमिटों के आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण हेतु विभाग में तंत्र का अभाव था। इसके परिणामस्वरुप ₹ 98.35 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क (समेकित शुल्क ₹ 92.73 लाख और प्राधिकरण शुल्क ₹ 5.62 लाख) की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, पलामू द्वारा 12 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये गये है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 4.3.18 में इंगित किया गया। जवाब में विभाग ने कहा था कि

संबंधित क्षे.प.प्र. को बकाये की वसूली के लिये माँग-पत्र निर्गत किये जाने का निर्देश दिया जायेगा। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी कायम है।

4.8 निबंधन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना

निबन्धन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं करने के कारण सरकार ₹ 49.11 लाख राजस्व से वंचित हुई।

के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 48 के प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधन प्राधिकारी मोटर वाहनों के स्वामी को निबंधन प्रमाणपत्र प्रपत्र 23 या 23 ए (स्मार्ट कार्ड) में निर्गत करेंगे। तदंतर, नियम 81 प्रावधान करता है कि मई 2002 से निबंधन प्रमाणपत्र को स्मार्ट कार्ड में निर्गत करने के लिए शुल्क के रूप में दो सौ रूपये की अतिरिक्ति राशि देय होगा। झारखण्ड सरकार ने मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड लिमिटेड के साथ अक्तूबर 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और फर्म को 18 जिलों में स्मार्ट कार्ड में वाहन निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए ₹ 99 के सेवा शुल्क की वसूली की अनुमति दी। स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने की शुरूआत मोटर वाहनों के संबंध में नकली एवं जाली कागजातों का उपयोग रोकने के लिए किया गया।

हमने फरवरी एवं मार्च 2016 के बीच चार जिला परिवहन कार्यालयों[9] निबंधन पंजी के नमूना जाँच किया और पाया कि 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान 24,557 निबंधन प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किये गये यद्यपि वाहन[10] पैकेज कार्यालयों में अधिष्ठापित था। इस प्रकार जिस उद्देश्य हेतु सॉफ्ट्वेयर को लागू किया गया, पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार, स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने के कार्यान्वयन में सरकार की ओर से चूक ने उसे ₹ 49.11 लाख के राजस्व से वंचित किया।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा(सितम्बर 2016) कि निबन्धन प्रमाण पत्र को स्मार्ट कार्ड में जारी करने की स्कीम जि प का, चतरा, गढवा एवं लातेहार में आरम्भ कर दिया गया है जबकि सिमडेगा में कार्य प्रक्रियाधीन है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 4.3.23.2 में इंगित किया गया था। उत्तर में परिवहन सचिव ने कहा था कि सभी जिलों को आच्छादित करते हुए ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया दिसंबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। तथापि, उनके आश्वासन के बावजूद इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है (अक्टूबर 2016)।

---

9 चतरा, गढवा, लातेहार एवं सिमडेगा।

10 **वाहन** सॉफ्टवेयर वाहनो के निबंधन एवं कराधान को संपादित करता है।

4.9 बैठान क्षमता का गलत निर्धारण

लोक सेवा वाहनों के बैठान क्षमता का निर्धारण उनके व्हीलबेस के अनुसार नहीं होने के परिणामस्वरुप ₹ 31.51 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन वाहन के स्वामियों को व्हीलबेस के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता पर करों का भुगतान करना है। यह प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभावी था। तदंतर अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक परिवहन वाहन के स्वामी को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लेखित दरों से करना है।

हमने जिला परिवहन कार्यालयों, गुमला और राँची के कम्प्यूटरीकृत डाटा के सत्यापन सहित निबंधन/कर पंजी के नमूना जाँच किया (अगस्त एवं नवंबर 2015) और पाया कि 406 परिवहन वाहनों की नमूना जांच में से 141 वाहनों ने मई 2011 से अप्रैल 2016 की अवधि के लिए उनके व्हीलबेस के अनुसार निर्धारित बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता निर्धारित कर करों का भुगतान किया। यह इंगित करता है कि जि.प.प. ने लोक सेवा वाहनों से कर की वसूली के दौरान अधिनियम के नये प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.51 लाख राशि के करों की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि जि.प.प., राँची ने मामले को मोटर यान निरीक्षक, राँची को निरीक्षण तथा वास्तविक बैठान क्षमता निर्धारित करने के लिये अग्रसारित कर दिया जबकि जि.प.प., गुमला ने माँग पत्र निर्गत किया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.3.11 में इंगित किया गया। सम्बन्धित जि.प.प. ने कहा था कि अंतरीय कर के लिये माँग पत्र निर्गत किया गया तथा नौ मामलों में ₹ 0.42 लाख की वसूली कर ली गई है। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है ।

4.10 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतेय ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना

संग्रहित राजस्व को सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण पर संग्राहक बैंकों ने देय ब्याज की राशि ₹ 12.32 लाख का जमा नहीं किया।

बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी देय के रूप में प्राप्त सभी राशियों को सरकारी लेखे में जमा करना चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुदेशों के अनुसार (जनवरी 2001) अप्रैल से फरवरी के दौरान बैंकों द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय

स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), डोरण्डां शाखा, राँची में इस प्रकार अंतरित करना चाहिए कि एक निश्चित माह की सभी प्राप्तियां अगले माह के प्रथम सप्ताह में अंतरित हो जाए। मार्च महीने में जमा की गई राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित करनी है ताकि वित्तीय वर्ष में जमा सभी राशियां उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में अंतरित हो जाय। भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक लाख रुपए से अधिक शेष पर बैंकों द्वारा विलंब से सरकारी लेखा में प्रेषण करने पर बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से दाण्डिक ब्यांज भुगतेय है।

हमने चार जिला परिवहन कार्यालयों[11] में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी से नमूना जाँच किया (अगस्त 2015 और मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि संग्राहक बैंक यथा बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए ₹ 12.43 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में क्रेडिट हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा शाखा, राँची में क्रेडिट नहीं किया। संग्राहक बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा राँची में सरकारी राजस्व को विलंब से अंतरण के फलस्वरूप संग्रहीत ₹ 12.32 लाख का ब्याज भी जमा नहीं किया। यह दर्शाता है कि विभाग ने मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं ब्याज के भुगतान के विषय को भी संग्राहक बैंक के साथ प्रभावी रूप से नहीं उठाया।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि विलम्ब से राजस्व के अंतरण के कारण संग्रहित ब्याज को जमा करने का निर्देश देते हुए बैंक प्राधिकारियों से पत्राचार किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.7 में इंगित किया गया। परिवहन सचिव ने कहा था कि जि.प.प. को सरकारी राजस्व का बैंकों द्वारा शासकीय खाते में अंतरण पर आवधिक रुप से नजर रखने का निर्देश दे दिया गया। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है (अक्टूबर 2016)।

[11] चतरा, दुमका, राँची एवम सिमडेगा